



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062021-227423
CG-DL-E-08062021-227423

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 8, 2021/ज्येष्ठ 18, 1943

No. 317]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 8, 2021/JYAISTHA 18, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2021

आयकर

सा.का.नि. 395(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 295 के साथ पठित धारा 194, क194, 194थ, 196घ, 206कख और 206गगक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम 1962 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम व प्रारंभ. -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (17वां संशोधन) नियम 2021 है।

(2) यथा उपबंधित अन्यथा के सिवाय ये राजपत्र में प्रकाशन उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम 1962 में (जिसे इसके पश्चात्सूल नियम कहा गया है) नियम 31क उप नियम (4) में :-

(क) खंड (भ) के खंड (भ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे

धारा 194 क की उपधारा (3) के खंड (भ) के तहत जारी अधिसूचना के मद्देनजर या धारा 194क की उपधारा (5) के तहत दी गई छूट के मद्देनजर सहंत्तकी गई या जमा की गई राशि के विशिष्टियां प्रस्तुत करे।

(ख) खंड (xii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्

								परंतुक के तहत मामलों में शामिल नहीं)	कम राशि की निका सी	की निका सी						
[412]	[413]	[414]	[415]	[416]	[417]	[418]	[419]	[419क]	[419ख]	[419ग]	[420]	[421]	[422]	[423]	[424]	[425]
1																
2																
3																
कुल																

सत्यापन

मैं.....स्पष्ट करता हूँ कि उपर्युक्त प्रस्तुत विवरण सही व पूर्ण है।
 स्थान..... स्रोत कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर
 तारीख..... नाम व पद कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर

टिप्पणी :-

1. धारा 197 के तहत प्रमाण पत्र के लिए न्यूनतम कटौती अथवा गैर कटौती के लिए "क" लिखें
2. धारा 197क की उपधारा (1च) में वर्णित मामलों के अलावा धारा 197क के तहत, घोषणा में गैर कटौती के लिए 'ख' लिखें
3. यदि पै नं. प्रस्तुत करने के कारण 206कक के तहत उच्चतर दर पर कटौती हो तो 'ग' लिखें।
4. धारा 194क की उपधारा (5) के तहत जारी अधिसूचना के कारण किसी व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग को किए गए भुगतान के कारण कोई कटौती या न्यूनतम कटौती या न्यूनतम कटौती नहीं होने पर 'घ' लिखें
5. यदि बोर्ड के परिपत्र सं. 3, तारीख 28 जून 2002 अथवा बोर्ड को परिपत्र सं. 11 तारीख 22 नवंबर, 2002 या बोर्ड परिपत्र सं. 18/2017 तारीख 29 मई 2017 में संदर्भित किसी व्यक्ति को भुगतान के कारण कोई कटौती नहीं हुई है 'ड' लिखें।
6. यदि आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट सीमा से कम भुगतान के कारण कोई कटौती नहीं है तो 'म' लिखें।
7. यदि कटौतीकर्ता/अदाता को परिवाहक होने के कारण कोई कटौती नहीं है तो "न" लिखें कटौतीकर्ता/अदाता का पै न अनिवार्य है (धारा 194 ग(6) देखें।)
8. धारा 197ठच के तहत अधिसूचित किए जा रहे भुगतान के कारण कोई कटौती या न्यूनतम कटौती नहीं होने पर "य" लिखें
9. धारा 194ड के दूसरे परंतुक के तहत जारी अधिसूचना के कारण कोई कटौती या कम कटौती या कम कटौती है तो 'ड' लिखें।
10. धारा 194 ड के चौथे परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्ति को किए गए भुगतान के कारण या 194ड के चौथे परंतुक को तहत जारी जारी अधिसूचना के कारण कोई कटौती या कम कटौती नहीं होने पर 'ड' लिखें।
11. यदि कोई कटौती धारा 194 ठखक की उपधारा (2क) को उपबंधों के अनुसार नहीं है तो 'ण' लिखें।
12. धारा 194 के दूसरे परंतुक के खंड(ड) के तहत अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए या धारा 194 के दूसरे परंतुक के खंड (घ) में संदर्भित व्यावसायिक न्यास को दिए गए लाभांश के भुगतान के कारण कोई कटौती या कम कटौती नहीं हुई है तो 'त' लिखें।

13. धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (भ) में संदर्भित किसी ईकाई को किए गए भुगतान को ध्यान में रखते हुए कोई कटौती नहीं होने पर 'थ' लिखें।
14. धारा 194थ की उपधारा (5) के उपबंधो को ध्यान में रखते हुए कोई कटौती नहीं है तो 'य' लिखें। *
15. धारा 206कख के मद्देनजर आय की विवरणी दाखिल न करने के कारण कटौती उच्च दर पर होती है तो 'प' लिखें*
16. धारा कोड की सूची इस प्रकार है:-

धारा	भुगतान की प्रकृति	धारा कोड
192क	कर्मचारी को देय संचित राशि का भुगतान	192क
193	प्रतिभूतियों पर ब्याज	193
194	लाभांश	194
194क	प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त ब्याज	194क
194ख	लॉटरी व क्रॉसवर्ड पहेली से जीत	194ख
194खख	घडदौड से जीत	194खख
194ग	ठेकेदारों व उप ठेकेदारों का भुगतान	194ग
194घ	बीमा आयोग /कमीशन	194घ
194घक	जीवन बीमा नीति के संबंध में भुगतान	194घक
194डड	राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत जमा राशि के संबंध में भुगतान	194डड
194च	परस्परिक निधि या यूटीआई द्वारा ईकाइयों के खरीद के कारण भुगतान	194च
194छ	लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन	194छ
194ज	दलाली पर कमीशन	194ज
194झ(क)	किराया	194झक
194झ(ख)	किराया	194झख
194ञ(क)	सिनेमेटोग्राफी फिल्मों और कॉल सेंटर के प्रदर्शन वितरण तथा ब्रिकी के लिए तकनीकी सेवाओं के लिए फीस(पेशेवर सेवा नहीं) के लिए रॉयल्टी @2%	194ञ(क)
194ञ(ख)	पेशेवर सेवा या रॉयल्टी आदि के लिए फीस	194ञ(ख)
194ट	इकाइयों के संबंध में आय	194ट
194ठक	कतिपय स्थावर संपत्तियों के अधिग्रहण पर मुआवजे का प्रतिकर	194ठक
194ठखक(क)	व्यावसायिक न्यास को इकाई से निवासी इकाई धारक को लाभांश रूप में निश्चित आय	194ठखक(क)
194ठखक(ख)	व्यावसायिक न्यास की इकाइयों से निवासी इकाई धारक को लाभांश रूप में निश्चित आय	194ठखक(ख)
194ठख	विनिधान निधि की इकाई के संबंध में आय	194ठख
194ठखग	प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश के संबंध में आय	194ठखग
194ढ	नकद में कतिपय राशि का भुगतान	194ढ
194ढ प्रथम परंतुक	दाखिल न करने वालों के नकद में कतिपय राशि का भुगतान	194ढ प्रथम परंतुक
194 ण	ई कामर्स प्रतिभागी को ई कामर्स प्रचालकों द्वारा कतिपय राशि का भुगतान	194ण
194थ	माल की खरीद के लिए कतिपय राशि का भुगतान	194थ

टिप्पणी :- धारा 194 थ और धारा 206कख के संबंध में परिवर्तन 1 जुलाई 2021 से प्रवृत्त होंगे।

5. मूलनियमों में परिशिष्ट II में ,प्ररूप 27डथ में –

(क) कोष्टकों,शब्दों,अंकों तथा अक्षरों को "धारा 206ग व नियम 31कक देखें" निम्नलिखित कोष्टक, शब्द, अंक और अक्षरों को रखा जाएगा अर्थात्.

धारा 206ग , 206गग, 206गखक एवं नियम 31कक देखें

(ख) उपाबंध के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा अर्थात्

"उपाबंध : स्रोत पर का कटौती या कटौतीकर्ता वार ब्यौरा

(कृपया मुख्य प्ररूप27डथ के क्रम सं. 4 सारणी की प्रत्येक पंक्ति/मद के लिए अलग-अलग उपाबंध का उपयोग करें)

समाप्त तिमाही (तारीख/माह/वर्ष) के दौरान प्राप्त नामे की गई राशि और स्रोत पर कर कटौती का विवरण

शाखा का बीएसआर कोड /प्ररूप से 24 छ की रसीद संख्या
जिस तारीख को चालन जमा/ हस्तांतरित किया गया वाउचर तारीख(ता/म/व)
प्ररूप सं. 24छ का चालान क्रम सं. /डीडीओ क्रम सं.
चालान के अनुसार राशि
स्तंभ 677 के अनुलंब सारणी में कटौती वार्ता में मध्य कुल कर का आवंटन
नीचे वर्णित कटौतीकर्ता में से कुल ब्याज का आवंटन

कटौतीकर्ता का नाम
टैन

क्र. सं.	कटौती कर्ता/ भुगता नकर्ता का संदर्भ सं. भुगता नकर्ता या कटौती कर्ता द्वारा दिया गया यदि उपलब्ध हो	कटौती कर्ता/ भुगता नकर्ता का पैन (1- कंपनी 2- कंपनी के अतिरिक्त)	कटौती कर्ता/ भुगता नकर्ता का नाम	भुग तान जमा की राशि	प्रा प्त या ज मा रा शि	भुग तान या जमा की तारी ख (ता/ म/व)	धारा कोड (देखें टिप्पणी 10)	कर	अधि भार	शि धा कर	कुल कर एक त्रित	कुल संग्र हण	संग्र हण की तिथि (ता/ म/व)	मग्र हण की दर	कटौती का कारण कम कटौती/ उच्च कटौती	निर्घा रण अधि कारी द्वारा जारी धारा 206 के तहत प्रमा ण पत्र संख्या न्यूनत म कटौ ती	क्य अधि ग्रहण डीडी एस के देनदा र है एफ व जी लिखें	अगर हां तो			
																		चा लान नं.	टीडी एस जमा करने की तारी ख		
[664]	[665]	[666]	[667]	[668]	[669]	[670]	[671]	[672]	[673]	[674]	[675]	[676]	[677]	[678]	[679]	[680]	[681]	[681]	[681क]	[681ख]	[681ग]
1																					
2																					
3																					
कुल																					

सत्यापन

मैं..... एतद्वारा सत्यापित करता हूं कि उपर्युक्त प्रस्तुत विशिष्टियां सही व पूर्ण हैं।
 स्थान..... स्रोत कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर
 तारीख..... स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम व पदनाम

टिप्पण:-

1. धारा 206ग की उपधारा(9) के अधीन प्रमाण पत्र के कारण कम संग्रहण हो तो "क" लिखें
2. धारा 206ग की उपधारा(1क) के अधीन घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के कारण कम संग्रहण हो तो 'ख' लिखें
3. यदि संग्रहणकर्ता द्वारा पैन/आधार जमा न करने के कारण धारा 206ग के अधीन संग्रहण अधिक हो तो 'ग' लिखें।
4. यदि धारा 206ग की उपधारा (1छ) के पहले परंतुक के कारण कोई संग्रहण न हुआ हो तो 'घ' लिखें
5. यदि धारा 206ग की उपधारा (1छ) के चौथे परंतुक के कारण कोई संग्रहण न हुआ हो तो 'ड' लिखें।
6. उपधारा(1छ) के पांचवें परंतुक के खंड (i) या खंड (ii) अथवा खंड (ii) के अधीन जारी अधिसूचना के कारण संग्रहण न हुआ हो तो 'च' लिखें।
7. धारा 206ग की उपधारा (1ज) के दूसरे परंतुक के कारण कोई संग्रहण न हो तो 'झ' लिखें।

8. स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड (ग) के अधीन जारी अधिसूचना को देखते हुए या उपखंड (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) के कारण कोई संग्रहण न हुआ हो तो 'ज' लिखें।
9. धारा 206 गगक को देखते हुए संग्रहण उच्च दर पर हो तो 'झ' लिखें।
10. संग्रहण कोड जैसा नीचे उल्लिखित है लिखें:

धारा	संग्रहण की प्रकृति	संग्रहण कोड	
206ग	मानव उपभोग के लिए मादक द्रव्यों से स्रोत पर संग्रहण	6ग	क
206ग	वन पट्टे के अधीन प्राप्त लकड़ी से स्रोत पर संग्रहण	6ग	ख
206ग	वन पट्टे के अतिरिक्त अन्य तरीके से प्राप्त लकड़ी से स्रोत पर संग्रहण	6ग	ग
206ग	किसी अन्य वनोपज (तेंदू पत्ता नहीं) के अतिरिक्त प्राप्त स्रोत पर संग्रहण	6ग	घ
206ग	कबाड़ से स्रोत पर संग्रहण	6ग	ड
206ग	पार्किंग स्थलो से संबंधित पट्टे /लाईसेंसी या ठेकेदारों से स्रोत पर संग्रहण	6ग	च
206ग	टोल प्लाजा से संबंधित पट्टे /लाईसेंसी या ठेकेदारोंसे स्रोत पर संग्रहण	6ग	छ
206ग	खदान या खनिज भूमि से संबंधित पट्टे /लाईसेंसी या ठेकेदारोंसे स्रोत पर संग्रहण	6ग	ज
206ग	तेंदू पत्ते से स्रोत पर कर संग्रहण	6ग	झ
206ग	लोह अयस्क अथवा लिग्नाइट या कोयला आदि खनिजों की बिक्री पर स्रोत पर कर संग्रहण	6ग	ञ
206ग	आभूषण तथा बुलियन की नकद बिक्री परकर संग्रहण	6ग	ट
206ग	मोटर वाहनों की बिक्री पर कर संग्रहण	6ग	ड
206ग	विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की खरीद के लिए एलआरएस के अधीनविप्रेषण देय पर संग्रहण	6ग	ण
206ग	धारा 80 ई में वर्णित वित्तीय संस्थान से लिए गए शैक्षिक ऋण के लिए एलआर एस धन प्रेषण पर स्रोत पर संग्रहण	6ग	त
206ग	विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज के अतिरिक्त या वित्तीय संस्थान से लिए गए शैक्षिक ऋण के लिए एल आर एस के अधीनस्रोत पर संग्रहण	6ग	थ
206ग	माल की बिक्री पर स्रोत पर संग्रहण	6ग	द

टिप्पण:- धारा 206 गगक में परिवर्तन 1 जुलाई 2021 से प्रवृत्त होंगे।

6. मुख्य नियमों में परिशिष्ट ii में प्ररूप सं. 27थ में

["धारा194ड., 194ठख , 194डखक, 194डखख, 194डखग, 194डग, 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ, 197क और नियम नियम 31क देखें"]कोष्ठकों, शब्दों तथा अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित कोष्टक ,शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे अर्थात:-

[194ड., 194ठख , 194ठखक , 194ठखख, 194ठखग, 194ठग, 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ, 197क, 206कक, 206कख और नियम नियम 31क]

(क) "उपाबंध " के लिए निम्नलिखित "उपाबंध " को रखा जाएगा अर्थात्

"उपाबंध :- कटौती किए जाने वाले व्यक्तिवार टीडीएस का अलग-अलग मूल्य"

(मुख्य प्ररूप 27थ के क्रम सं. 4 परसारणी की प्रत्येक पंक्ति मद के लिए अलग उपाबंध का उपयोग करें)

समाप्त तिमाही के दौरान भुगतान/जमा की गई राशि का विवरण..... (तारीख/माह/वर्ष) तथा स्रोत पर कर कटौती

शाखा का वीएसआर कोड /प्ररूप से 24छ की रसीद संख्या
जिसतारीख को चालन जमा/ हस्तांतरित किया गया वाउचर तारीख(ता/म/व)
प्ररूप सं. 24छ का चालान क्रम सं. /डीडीओ क्रम सं.
चालान के अनुसार राशि
स्तंभ 726 के अनुलंब सारणी में कटौतीकर्ताओं में मध्य कुल टीडीएस का आवंटन
नीचे उल्लिखित कटौतीकर्ताओं के मध्य कुल ब्याज का आवंटन

कटौतीकर्ता/भुगतान कर्ता का नाम

क्रं स	कटौती कर्ता द्वारा दिया	भुगतानकर्ता का कोड (1- कंपनी)	भुगतानकर्ता का पैन नं. या आधार संख्या	भुगतानकर्ता का नाम	धाराकोड (देखें टिप्पण 31)	भुगतान या जमा की तारीख	धारा 194ड में संदर्भित एक करोड	धारा 194ड के प्रथम परंतुक के	धारा 194ड के पहले परंतुक के	देय या जमा राशि	कर	अधिभार	शिधा उपकर	कुल कर कटौती [722	कुलजमा कर
--------	-------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--------------------	---------------------------	------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------	----	--------	-----------	-------------------	-----------

	गया भुगतान कर्ता की संदर्भ संख्या यदि उपलब्ध हो	2- कंपनी के अतिरिक्त)	[टिप्पण 12 देखें]			(ता/म/व)	रूप से अधिक नकद निकासी की राशि पर(धारा 194ड के पहले परंतुक के अधीन मामलों में शामिल नहीं)	खंड (ii) के उप खंड (क) के अंतर्गत आने वाले मामलों में 20 लाख से अधिक परंतुक 1 करोड़ नकद से कम राशि की निकासी	खंड (II) के उपखंड (ख) के अंतर्गत आने वाले मामलों में 1 करोड़ रूप से अधिक राशि की निकासी					+723 +724]	
[714]	[715]	[716]	[717]	[718]	[719]	[720]	[720क]	[720ख]	[720ग]	[721]	[722]	[723]	[724]	[725]	[726]
1															
2															
3															
कुल															

कटौती की तारीख(दिन/माह/वर्ष)	जिस दर पर कटौती की गई	कटौती/कम कटौती /प्रोसिंग अप/उच्च कटौती टिप्पण 1 से 10 देखें	निर्धारण अधिकारी द्वारा कटौती नहीं कम कटौती के लिए जारी प्रमाण पत्र की संख्या	क्या कटौती की दर टीडीएस आयकर अधिनियम के अनुसार है (क) टीडीएस (ख)	धन प्रेषण की प्रकृति	एकमात्र पावर्ती सं. प्ररूप 15क यदि उपलब्ध हो	जिस देश में धन प्रेषण किया गया है	कटौती कर्ता की मेल आई डी	कटौती कर्ता का संपर्क नंबर	कटौती करने वाले का पता जिस देश का निवासी हो	कटौती करने वाले का दिन नंबर/विशिष्ट पहचान संख्या
[727]	[728]	[729]	[730]	[731]	[732]	[733]	[734]	[735]	[736]	[737]	[738]
1											
2											
3											
कुल											

सत्यापन

मैं..... एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त प्रस्तुत विवरण सही व पूर्ण है।
 स्थान..... स्रोत कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर
 तारीख..... स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम और पदनाम

टिप्पणी :-

- धारा 197 के अधीन प्रमाण पत्र के लिए प्रमाण पत्र के कारण यदि कम कटौती या कोई कटौती नहीं तो "क" लिखें
- यदि जोड़ किया गया है तो 'ग' लिखें
- यदि स्थायी खाता संख्या या आधार प्रस्तुत न करने का कारण या आधार से साथ पैन को लिंक न कराने के कारण धारा 206कक के तहत उच्च दर पर कटौती हो तो 'घ' लिखें।
- यदि धारा 194ठखक की उप-धारा (2क) को ध्यान में रखते हुए कोई कटौती नहीं है तो 'ड.' लिखें
- धारा 194ड के दूसरे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना के कारण कम कटौती या कटौती नहीं हो तो 'ड' लिखें।
- धारा 194ड के चौथे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना के कारण या धारा 194ड के तीसरे परंतुक में संदर्भित व्यक्ति को किए गए भुगतान के कारण यदि कटौती कम या कटौती नहीं हो तो 'ड' लिखें
- धारा 197क की उपधारा (1घ) खंड(क) या (ख)को ध्यान में रखते हुए कोई कटौती नहीं है तो 'ओ' लिखें।
- धारा 10 के खंड (4घ) के अधीन जो निर्दिष्ट निधि को भुगतान की गई आय पर छूट प्राप्त है के संबंध में धारा 196घ की उपधारा (1क) के परंतुक को ध्यान में रखते हुए कोई कटौती नहीं है तो 'ज' लिखें।

9. यदि विदेशी संस्थागत निवेशक को भुगतान या देय धारा 15कघ में संदर्भित प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ की प्रकृति की आय के संबंध में धारा 196घ की उपधारा (2) को ध्यान में रखते हुए कोई कटौती नहीं है तो 'झ' लिखें।
10. यदि भारत में एक स्थायी प्रतिष्ठान वाले अनिवासी द्वारा आय की विवरणी दाखिल न करने के लिए धारा 206कख को ध्यान में रखते हुए कटौती ज्यादा दर पर है तो 'ज' लिखें।
11. धारा बोर्ड की सूची इस प्रकार है:-

धारा	भुगतान की प्रकृति	धारा कोड
192क	कर्मचारी को देय संचित राशि का भुगतान	192क
194ड	अनिवासी खिलाड़ी/खेल संघों को भुगतान	94ई
194ठख	संरचनागत ऋण निधि से ब्याज के रूप में आय	4ठख
194ठखक(क)	धारा 10(23चग(क)) में संदर्भित व्यावसायिक न्यास की इकाई से आय	ठखक(क)
194ठखक(ख)	धारा 10(23चग(ख)) में संदर्भित व्यावसायिक न्यास की इकाई से आय	ठखक(ख)
194ठखक(ग)	धारा 10(23चग(क)) में संदर्भित व्यावसायिक न्यास की इकाई से आय	ठखक(ग)
194ठखख	निवेश निधि की इकाई के संबंध में आय प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश	ठखख
194ठखग	प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश के संबंध में आय	ठखग
194ठग	भारतीय कंपनी से ब्याज के रूप में आय	4ठग
194ठग	कतिपय बंध पत्र तथा सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय	4ठख
194ढ	नकद में कतिपय राशि का भुगतान	94ढ
194ढ प्रथम परंतुक	दाखिल न करने वालों के नकद में कतिपय राशि का भुगतान	4ढच
195	अनिवासी को अन्य देय राशियां	195
196क	अनिवासी की इकाईयों के संबंध में आय	96क
196ख	अपतटीय निधि में इकाईयों के संबंध में भुगतान	96ख
196ग	अनिवासी को देय विदेशी मुद्रा बंध पत्र या भारतीय कंपनी के शेयर से आय	96ग
196घ(1)	उपधारा (1) के तहत प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत निवेशकों की आय	96घ
194घ(1क)	(धारा 194ठघ में संदर्भित ब्याज आय के अतिरिक्त) धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में संदर्भित प्रतिभूतियों से निधि की आय	96घक

12. नियम 37 खग के तहत कटौतीकर्ता के मामले में स्थायी खाता सं. या आधार सं. उपलब्ध नहीं है का उल्लेख किया जाना चाहिए

टिप्पण:- धारा 206कख के संबंध में परिवर्तन 1 जुलाई, 2021 को प्रवृत्त होंगे।

[अधिसूचना संख्या 71/2021/फा. सं. 370142/19/2021-टीपीएल]

कमलेश चंद्र वाष्णीय, संयुक्त सचिव (कर नीति व विधान प्रभाग)

टिप्पण: मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, धारा 3 उपधारा (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 338(अ), तारीख 24 मई, 2021 को किया गया।